न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 91 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. तगाराम पुत्र किस्तुराराम उम्र 36 बनाम जाति जाट, निवासी भीमरलाई स्टेशन, ग्राम पंचायत खट्टू तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1.मूलाराम पुत्र निम्बाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन ग्राम पंचायत खट्टू, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
2.श्रीमान तहसीलदार पचपदरा
3.सरपंच ग्राम पंचायत खटटू तहसील पचपदरा
4.शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी.बैंक शाखा, बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा राजस्व मूल वाद संख्या 28 / 2016 अनवान तगाराम बनाम मूलाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05. 2018।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 03.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर मौजा भीमरलाई स्टेशन, पटवार हल्का खट्टू तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या के खसरा संख्या 33 रकबा 29 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 1.74 रू व खसरा संख्या 487 रकबा 55.03 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 3.31 रू कुल दो खसरान कुल रकबा 84. 03 बीघा में उतरदाता संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा घोषित करने के साथ ही कब्जा काश्त के अनुसार सलंग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार बंटवाड़ा करने का वाद पेश किया। दिनांक 30.05.2018 को रेस्पोडेंट / प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार बंटवारा करने में सहमति दी किंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने कब्जे काश्त में जाने हेतु रास्ते की मांग की जिसे वादी ने स्वीकार कर दी, तत्पश्चात पटवारी खट्टू द्वारा परिशिष्ट "अ" से विपरित जाकर खसरा संख्या 487 में रेलवे लाईन की तरफ उतरदाता संख्या 1 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रास्ते के स्थान पर ज्यादा भूमि देकर राजीनामे के विपरित बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जिस पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वादपत्र पेश किया गया है उसके साथ ही **परिशिष्ट 'अ'** के रूप में अपने कब्जे काश्त एवं विभाजन हेतु प्रस्तावित नक्शा पेश किया गया थि जिसके अनुसार खसरा संख्या 33 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलांट तगाराम की रहवासीय ढाणी, टांका एवं कब्जा काश्त था साथ ही खसरा संख्या 33 के दक्षिण में रेलवे लाईन के खसरा संख्या 227 के पश्चात अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 487 में रेलवे लाईन के पास–पास अपीलांट का कब्जा उसके हिस्से अनुसार 13.01 बीघा भूमि पर था एवं उसके पश्चात उतरदाता संख्या 1 का कब्जा एवं उसकी रहवासी ढाणी तथ पानी का टांका दर्शित करते हुए इसी अनुसार बंटवारे की मांग की थी एवं उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपीलांट के अनुतोष का कोई विरोध नहीं किया गया। हल्का पटवारी द्वारा कब्जे के विपरित विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव विधि एवं नियमों के प्रतिकूल है। ऐसे विधि विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि दिनांक 06.08.2018 को आलोच्य निर्णय एवं विभाजन प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तब उसके अवलोकन से अपीलांट को ज्ञात हुआ कि अपीलांट के कब्जे काश्त की जमीन का हिस्सा बंटवारा नक्शे में उतरदाता संख्या 01 कें हिस्से में दर्शाया गया है एवं माफिक राजीनामा अनुसार रास्ते के अनुसार उतरदाता संख्या 01 को रास्ते के स्थान पर आधे हिस्से की भूमि देते हुऐ पटवारी द्वारा गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील पेश की। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण मज्मे आम लोक अदालत केम्प खट्टू में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बाकायदा हस्ताक्षरित राजीनामा दिनांक 30.05.2018 के आधार पर हुआ है इसलिए अपीलांट को इसका ज्ञान तब से ही था। विलम्ब सद्भाविक नहीं है। अपील मियाद बाहर है फिर भी इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर भी किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत केम्प खट्टू में पेश राजीनामा के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। राजीनामा एवं लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर उभयपक्ष द्वारा बाकायदा हस्ताक्षरित एवं बरंग हरा–लाल रंग भरकर स्पष्ट दर्शाते विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर उसके आधार पर निर्णय का अनुरोध किया जो स्वीकार किया और तदनुसार ही निर्णय/डिक्री पारित है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद अपीलांट द्वारा ही प्रस्तुत किया गया एवं उसी ने राजीनामा एवं विभाजन प्रस्ताव मौके पर दिनांक 30.05.2018 को करवाकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे हूबहू स्वीकार किया। अपीलांट/वादी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है। वाद, अपील, राजीनामा, विभाजन प्रस्ताव पर उसके हस्ताक्षर इसका सबूत देते है। लोक अदालत में उभयपक्ष के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत राजीनामा एवं सहमति के आधार पर वाद में पारित कराये गए निर्णय/डिक्री की अपील धारा 96(3) सी.पी.सी. के तहत पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट कालातीत तथा वाद पक्षकारों की सहमति से निर्णीत होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2016 बअनवान तगाराम बनाम मूलाराम वगै. पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2018 यथावत रखा जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner